न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

विमला देवी बनाम सरकार

प्रकरण सं. :— 11/2024

अन्तर्गत धारा :— 136 एल.आर. एक्ट

G.C.M.S -2024/206

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
08.08.2024	प्रार्थीया वीना देवी पुत्री मिल्खीराम जाति चौधरी निवासी चक 24 एम.डी.–बी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि चक 24 एम.डी.–बी के मु.नं. 41 प.नं. 204/50 के कुल 5.871 हैक्टर कमाण्ड रकबा में से प्रार्थीया का 70/1957 हिस्सा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थीया का का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गलतीवश नाम विमला देवी अंकित कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड में विमला देवी के स्थान पर वीना देवी दुरूस्त करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक : भू.अ. /2024/1317 दिनांक 14.05.2024 के द्वारा चक 24 एम.डी.–बी के मु. नं. 41 प.नं. 204/50 के कुल 5.871 हैक्टर कमाण्ड रकबा में से प्रार्थीया का 70/1957 हिस्सा यानि 0.210 हैक्टर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। चक 24 एम.डी.–बी के विरास्तन इंतकाल सं. 96 दर्ज समय एक खाते में वीना देवी पुत्री मिलखीराम अमलदरामद हुआ तथा दूसरे खाते में सहवन से विमला देवी पुत्री मिलखीराम दर्ज हो गया था जिससे प्रार्थीया का नाम विमलदेवी पुत्री मिलखीराम से वीना देवी पुत्री मिलखीराम दर्ज अथवा दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार अनूपगढ़ की अनुशंषा एवं संलग्न दस्तावेजातों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में चक 24 एम.डी.–बी के मु.नं. 41 प.नं. 204/50 के कुल 5.871 हैक्टर कमाण्ड रकबा में से प्रार्थीया का 70/1957 हिस्सा यानि 0.210 हैक्टर भूमि में प्रार्थीया का नाम विमला देवी पुत्री मिलखीराम के स्थान पर वीनादेवी पुत्री मिलखीराम दुरूस्त कर दर्ज रिकॉर्ड करने के आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अजीत कुमार गोदारा) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	